न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 449–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 499/अपील/11–12.

नेशनल टेक्सटाईल्स कार्पोरेशन लि.
द्वारा मिल इंचार्ज हीरामिल, उज्जैन .....आवेदक

विरूद्ध

1– तुलसी यादव पत्नी स्व. विष्णु यादव
2– निश्चल यादव पिता स्व. विष्णु यादव
3– सहर्ष यादव पिता स्व. विष्णु यादव
4– चंचल यादव पिता स्व. विष्णु यादव
5– आराधना यादव पिता स्व. विष्णु यादव
6– दिनेश यादव पिता भागीरथ यादव
निवासीगण निकास चौराहा, उज्जैन
7– श्रीमती यशोदाबाई पत्नी रमेशसिंह
8– नरेन्द्र पिता कैलाश राठौर
9– कन्हैयालाल पिता शंकरलाल
10– रामदयाल पिता शंकरलाल
11– देवीप्रसाद मृत पुत्र दिनेश पिता देवीप्रसाद राठौर
12– लालूप्रसाद पिता मूलचन्द राठौर
निवासीगण हीरामिल की चाल
आगर रोड, उज्जैन
13– मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री एन0एस0 राणावत, अभिभाषक, आवेदक
श्री कमल आंजना, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 लगायत 6
श्री संजय आंजना, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 7 लगायत 12

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 के पिता स्व. विष्णु यादव एवं अनावेदक कमांक 5 दिनेश यादव द्वारा तहसीलदार, उज्जैन के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके भूमिस्वामी स्वत्व की कस्बा उज्जैन स्थित भूमि सर्वे कमांक 1749/2 रकबा 0.052 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 1714/1 रकबा 0.084 हेक्टेयर एवे सर्वे कमांक 1716/3 रकबा 0.146 हेक्टेयर उनके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर आवेदक सहित अन्य के द्वारा उनकी भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–12–2011 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–5–2012 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–12–2012 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर स्टेट टाईम 80 वर्षों से स्टाफ क्वार्टर बने हैं, और प्रश्नाधीन भूमि हीरा मिल की होकर, कृषि भूमि नहीं है । अतः मकान के संबंध में संहिता की धारा 250 लागू नहीं होने से तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि नहीं होकर औद्योगिक भूमि है, इसलिए संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, और उपरोक्त भूमि पर स्टाफ क्वार्टर नहीं बने हैं, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 लागू होती है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक नेशनल टेक्सटाईल्स कार्पोरेशन लिमिटेड पक्षकार नहीं है, और सीधे अपर आयुक्त के समक्ष पक्षकार बने हैं, इसलिए उन्हें

आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर सीमांकन में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 7 लगायत 12 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि संहिता की धारा 250 कृषि भूमि पर लागू होती है, मकानों पर नहीं, अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई, उनके द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त का विधिक कारण भी अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदक नेशनल टेक्सटाईल्स कार्पोरेशन लिमिटेड शासकीय मिल है और शासकीय भूमि पर अनावेदकगण को स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते हैं और न ही शासकीय मिल की भूमि उनके स्वामित्व की हो सकती है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी त्रुटि की गई है, इसलिये दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2012 निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार तहसील व जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–12–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर